न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)

Rs.3.1-

III/निग0/सतना/म.प्र./
2017/2050

राजेश कुमार जैन तनय श्री पंचमलाल जैन, उम्र 47 वर्ष, निवासी–कृष्ण नगर सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म0प्र0) द्वारा मुख्त्यार खास सूर्यभान कुशवाहा तनय श्री ईश्वरदीन कुशवाहा, उम्र 57 वर्ष, निवासी–संग्राम कालोनी सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म0प्र0)

..............निगरानीकर्ता / आवेदक

विरुद्ध

1. सत्य प्रकाश तिवारी तनय श्री बलराम प्रसाद तिवारी, निवासी–ग्राम इटौरा, पोस्ट वीरनई, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म0प्र0)
2. सतेन्द्र कुमार तिवारी तनय श्री बलराम प्रसाद तिवारी, निवासी–ग्राम इटौरा, पोस्ट वीरनई, तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म0प्र0) ....गैरनिगराकारगण / अनावेदकगण
3. म.प्र. शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक भू प्रबंधन सतना जिला सतना (म.प्र.)

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 25.04.2017 जो प्रकरण क्र0 4/अ–6–अ/15–16 में अधीक्षक भू–अभिलेख भू–प्रबंधन सतना द्वारा पारित किया गया, के विरुद्ध।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0सं01959 ई0

माान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख भू–प्रबंधन सतना द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2017 विधि एवं कानून प्रक्रिया के विपरीत होने के साथ–साथ प्रकरण में आये तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि उक्त प्रकरण का निराकरण करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने न तो प्रकरण को अच्छी तरह से देखा न उसके समझा और न

सूर्यभान कुशवाहा
01.7.17

(124)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमाक III / निग./17/2050 जिला सतना

राजेश कुमार जैन विरूद्ध सत्य प्रकाश तिवारी

1	2	3
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री हरीकृष्ण मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख भू-प्रबंधन सतना के प्रकरण क्रमांक 04/A6A/15-16 में पारित आदेश दिनांक 25.4.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 7.3.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	